

25

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

परिचय

25.1 केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा हेतु नीतियां, मानक व प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर एक कार्य समूह, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, इस परामर्श प्रक्रिया में सहायता करता है। कार्य समूह की अंतिम बैठक नई दिल्ली में दिनांक 24 जून, 2002 को हुई थी। कार्य समूह की एक विशेष बैठक भी नई दिल्ली में दिनांक 8.4.2003 को आयोजित की गई थी। कार्य समूह ने रोजगार सेवा को और अधिक सक्रिय एवं बदलते हुए बाजार परिदृश्य में श्रम बाजार सूचना प्रणाली को आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने हेतु अनेक सिफारिशों की। इसने देश में निजी नियोजन एजेंसियों के कार्यकरण पर भी अपनी सिफारिशों कीं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा की मुख्य विशेषताएं

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत सिक्किम के अतिरिक्त समस्त राज्य एवं संघ शासित प्रदेश आते हैं
- रोजगार कार्यालयों का दैनंदिन प्रशासन राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के पास है।
- इसका 945 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क है।
- प्रशासनिक कार्यों के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालयों से 13 सांख्यिकीय विवरणियों द्वारा आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जिनमें प्रत्येक विवरणी में विभिन्न अवधियों के दौरान पंजीकरण, नियोजन इत्यादि जैसे विशिष्ट कार्य शामिल हैं।
- रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित ई.आर.-I तथा ई.आर.-II विवरणियों, रिक्तियों, कर्मचारियों का व्यावसायिक एवं शैक्षिक ढांचा इत्यादि के संबंध में संगठित क्षेत्र (समस्त सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान तथा

10 या अधिक कामगारों वाले समस्त गैर-कृषि निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान) से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

25.2 रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959

- इस अधिनियम के तहत रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना तथा नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को रोजगार संबंधी विवरणियां (ई.आर.-I और ई.आर.-II) प्रस्तुत करने का प्रावधान है।
- यह अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों तथा गैर-कृषि कार्यकलापों में रत 25 या अधिक कामगारों को नियुक्त करने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
- अधिनियम को लागू करना राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का दायित्व है।
- अधिकतर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने इस प्रयोजन के लिए विशेष “इंफोर्समेंट मशीनरी” भी स्थापित की है।

25.3 राष्ट्रीय रोजगार सेवा का कार्य-निष्पादन

31.12.2003 की स्थिति के अनुसार 945 रोजगार कार्यालयों का ब्यौरा इस प्रकार है:

> निम्नलिखित सहित (जुलाई,2003 के अंत तक) रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या	945
➤ विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू.ई.आई.जी.बी.एक्स.)	82
➤ व्यावसायिक एवं कार्यकारी रोजगार कार्यालय	16
➤ शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	42
➤ बागान श्रमिकों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	01

रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण, नियोजन, आजीविका परामर्श, व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं श्रम बाजार सूचना का संकलन रोजगार कार्यालयों की मुख्य गतिविधियां हैं।

वर्ष 2003 के दौरान (जनवरी-दिसम्बर) पंजीकरण एवं नियोजन के संबंध में किया गया कार्य :-

* 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या	(लाख में)
>> पुरुष	306.37
>> महिला	107.52
>> योग	413.89
* 2003 (जनवरी -दिसम्बर) के दौरान नियोजित किए गए रोजगार चाहने वालों की संख्या	
>> पुरुष	1.28
>> महिला	0.27
>> योग	1.55
* 2003 (जनवरी -दिसम्बर) के दौरान पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या	
>> पुरुष	40.14
>> महिला	14.49
>> योग	54.63

पंजीकरण एवं नियोजन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

- 31 दिसम्बर, 2003 को रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे रोजगार चाहने वालों की अधिकतम संख्या (67.2 लाख) पश्चिम बंगाल में थी, जबकि इनकी न्यूनतम संख्या (0.06 लाख) दादर एवं नगर हवेली में थी ।
- जनवरी -दिसम्बर, 2003 के मध्य गुजरात में नियोजन अधिकतम (64.9 हजार) था, जबकि महाराष्ट्र में पंजीकरण अधिकतम (831.1 हजार) था।
- नियोजन, रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए नामों का 8.1% था।
- कुल रोजगार चाहने वालों में से 26.0% महिलाएं थीं।

- 1999 से 2003 की अवधि के लिए वर्ष-वार पंजीकरण , नियोजन , अधिसूचित की गई रिक्तियां, भेजे गए नामों तथा चालू रजिस्टर संबंधी ब्यौरा तालिका 25.1 में दिया गया है :-

						सारणी 25.1 (हजार में)
वर्ष	रोजगार कार्यालय वि.रो.सू.मा.ब्यूरो \$	पंजीकरण	नियोजन	अधिसूचित रिक्तियां	भेजे गए नामांकन	चालू रजिस्टर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1999	955	5966.0	221.3	328.9	2653.2	40371.4
2000	958	6041.9	177.7	284.5	2322.8	41343.6
2001	938	5064.0	169.2	304.1	1908.8	41995.9
2002	939	3511.7	142.6	220.3	1748.8	41171.2
2003	945	5462.9	154.9	256.1	1917.3	41388.7
\$ वर्ष के अंत में						

25.4 केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली

- केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में 1400/-रु. प्रतिमाह (पूर्व-संशोधित) तथा उससे अधिक वेतनमान की वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकार की रिक्तियों को परिचालित करने एवं उनका विज्ञापन करने हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 2003-2004 के दौरान 16 विज्ञापन के माध्यम से कुल 354 रिक्तियों अधिसूचित की गई जब कि 43 सरकारी कार्यालयों तथा एक अर्ध-सरकारी कार्यालय ने सेवाओं का उपयोग किया। इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विकलांगों हेतु क्रमशः 44,24,98 एवं 5 रिक्तियां अधिसूचित की गई।

25.5 रोजगार बाजार सूचना (ई.ए.आई.) कार्यक्रम

(i) कार्यक्षेत्र , विस्तार एवं सीमाएं

संगठित क्षेत्र में रोजगार आंकड़े रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्रित किए जाते हैं। प्रारंभ में इन्हें स्वैच्छिक रूप से एकत्रित करने

के सावधिक प्रावधान का आधार रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा किया गया था। रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम का विस्तार अब दादर व नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के अतिरिक्त सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र के 25 या उससे अधिक कामगारों वाले गैर-कृषीय प्रतिष्ठानों के लिए यह कार्यक्रम लागू है। 10 से 24 कामगारों वाले प्रतिष्ठानों के स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया जाता है।

तथापि, रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (पौधारोपण तथा कृषि मशीनी उपकरण के अतिरिक्त) कृषीय प्रतिष्ठानों, स्व-रोजगार में व स्वतन्त्र कामगारों, अंशकालिक कामगारों, रक्षा बलों, विदेश में भारतीय मिशनों, मुम्बई व कोलकाता महानगरों में 25 या इससे कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों तथा अति लघु प्रतिष्ठानों (10 से कम कामगारों वाले) सांविधिक रूप से रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है। रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अनुसार नियोक्ताओं के लिए रोजगार विवरणी (ई आर-I) तथा व्यावसायिक विवरणी (ई आर-II) क्रमशः तैमासिक तथा द्विवार्षिक भेजना अनिवार्य है । 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर को प्रतिवर्ष त्रैमासिक आधार पर प्राप्त होने वाली रोजगार विवरणियों से रोजगार का पता चलता है जबकि 30 सितम्बर के अंत में प्रति वैकल्पिक वर्ष के व्यावसायिक विवरणियाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से एकत्रित की जाती हैं। दिसम्बर 2002 को समाप्त होने वाली तिमाही के त्वरित अनुमान, मार्च 2002 को समाप्त तिमाही की रोजगार समीक्षा तथा वर्ष 1999 के लिए वार्षिक रोजगार समीक्षा पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

ii) व्यावसायिक एवं शैक्षिक पद्धति अध्ययन

- अध्ययन के माध्यम से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की व्यावसायिक एवं शैक्षिक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है।
- रोजगार बाजार सूचना (ई.एम.आई.) कार्यक्रम के तहत दो वर्षों के अंतराल पर रोजगार कार्यालय अधिनियम (सीएनवी) 1959 के तहत

निर्धारित ई.आर.विवरणी-॥ में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र प्रतिष्ठानों से एकांतर वर्षों में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

- उद्योगों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की शाखाओं एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के आकार द्वारा वर्गीकृत संगठित क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों के व्यावसायिक ढाँचा एवं स्तरों को भारत में व्यावसायिक एवं शैक्षिक ढाँचा नामक रिपोर्टों में प्रकाशित किया जाता है ।

25.6 केन्द्र सरकार के फालतू / छंटनी किए गए कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति

- सरकार के दिनांक 10.01.2002 के आदेश संख्या 20011/1/2002-आ.का.अ.ए. द्वारा लिए गए निर्णयानुसार रोजगार एवं प्राशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय में समूह 'घ' कर्मचारियों हेतु अधिशेष सैल को एक ही मंत्रालय के प्रभार तले अधिशेष कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के पुनःनियोजन से संबंधित कार्य को रखने के मद्देनजर , कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष सैल को हस्तांतरित कर दिया गया। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के इस प्रभाग को "पुनः प्रशिक्षण व पुनः नियोजन" में पदनामित किया गया है।

25.7 रोजगार कार्यालयों का मूल्यांकन

रोजगार कार्यालय विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो के संयुक्त तकनीकी मूल्यांकन कार्यक्रम देश में सम्बद्ध राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रशासनों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि:-

- स्वीकृत नीतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन हो।
- मानकों का प्रतिपादन एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो।
- रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने एवं
- इन सेवाओं में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाए जाने के लिए।

- वर्ष 2003-2004 में 20 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के मूल्यांकन का प्रस्ताव किया गया तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की सम्भावना है।

25.8 व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श

रोजगार कार्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो यू.ई.आई.जी.बी.एक्स.:-

- रोजगार कार्यालयों / विश्वविद्यालय परिसरों में कार्य करते हैं तथा रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी परामर्शदायी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
- आजीविका वार्ताओं, एकल परामर्श सत्रों, सामूहिक विचार-विमर्श, आजीविका प्रदर्शनियों तथा फिल्म-प्रदर्शन आदि के माध्यम से विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा रोजगार चाहने वालों को (व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों) रूपों में प्रचारित करने हेतु व्यावसायिक सूचना का एकत्रण व संकलन।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षुता प्रशिक्षण सहित देश के भीतर एवं विदेश में उपलब्ध विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं के संबंध में विद्यार्थियों को सूचना देना।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, रोजगार कार्यालयों में 362 व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्रों तथा 82 विश्वविद्यालय सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो यू.ई.आई.जी.बी.एक्स. ने रोजगार चाहने वालों तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य करना जारी रखा।

25.9 अभिरूचि परीक्षण

- अभिरूचि परीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं व्यावसाय चयन प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को विकसित करना एवं उनका प्रयोग करना है।

- व्यावसाय चयन के लिए अभिरूचि परीक्षण कार्यक्रम 60वें दशक में प्रारंभ किया गया।
- डीजीईटी के वर्तमान प्रयासों का संकेन्द्रण लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्षमताओं के सुदृढीकरण पर है। रोजगार कार्यालयों के रोजगार चाहने वालों, विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों में आने वाले विद्यार्थियों, अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों व अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं, विकलांग एवं सामाजिक स्तर पर अभाव ग्रस्त व्यक्तियों के भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उनका व्यावसायिक चयन एवं उचित व्यवसाय मार्गदर्शन सेवाओं को आवश्यक समर्थन मिलने की संभावना है।

25.10 स्व-रोजगार संवर्धन

- वैतनिक रोजगारों की सामान्य कमी के कारण स्व-रोजगार संवर्धन कार्यक्रम आरंभ किया गया।
- बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए रोजगार कार्यालयों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है।
- देश के 28 चुनिंदा रोजगार कार्यालयों में स्व-रोजगार संवर्धन सैल स्थापित किए गए। इन में से 23 स्व-रोजगार संवर्धन सैल (एस.ई.पी.सी.) स्व रोजगार संवर्धन हेतु रोजगार चाहने वालों को विशेष सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- सितम्बर, 2002 के अंत तक, लगभग 75008 व्यक्तियों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा इन सैलों के चालू रजिस्टर पर स्व-रोजगार संबंधी सहायता चाहने वालों की संख्या 199584 व्यक्ति थे।

25.11 आंकड़ों का प्रकाशन

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन निकाले जाते हैं:-

1. रोजगार एवं बेरोजगारी की मासिक मुख्य विशेषताएं :

- यह रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का एक मासिक प्रकाशन है। संगठित क्षेत्र में पंजीकरण, नियोजन तथा चालू रजिस्टर एवं रोजगार के

संबंध में रोजगार एवं बेरोजगारी की मासिक स्थिति की समीक्षा करता है । इस प्रकाशन का क्षेत्र सीमित है तथा इसे विभिन्न मंत्रालयों के उच्च स्तर के अधिकारियों के आंतरिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता है ।

2. रोजगार कार्यालय सांख्यिकी

- यह रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का वार्षिक प्रकाशन है । इसमें आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण सहित सम्पूर्ण रोजगार कार्यालय सांख्यिकी को प्रस्तुत किया गया है ।

3. रोजगार के त्वरित अनुमान :

- यह संगठित क्षेत्र में, रोजगार के त्रैमासिक त्वरित अनुमानों को दर्शाता है ।

4. त्रैमासिक रोजगार समीक्षा :

- यह संगठित क्षेत्र में तिमाही आधार पर प्रमुख उद्योगवार रोजगार स्थिति को दर्शाता है ।

5. वार्षिक रोजगार समीक्षा :

- यह ई.एम.आई. आंकड़ों पर आधारित एक वार्षिक प्रकाशन है । यह उद्योग के तीन अंक स्तर तक के विस्तृत आंकड़ों को दर्शाता है तथा संगठित क्षेत्र में व्याप्त रोजगार स्थिति का सम्पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है ।

6. भारत में कर्मचारियों का व्यावसायिक शैक्षिक ढांचा :

- यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो संगठित क्षेत्र के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है । सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को एकांतर वर्ष में शामिल किया जाता है ।

7. शिक्षता प्रशिक्षण योजना के तहत भारत में व्यवसाय शिक्षता प्रशिक्षण :

- यह रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के सर्वेक्षण एवं अध्ययन प्रभाग द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है । प्रकाशन में शिक्षता प्रशिक्षण में कार्यरत प्रतिष्ठानों के शिक्षुओं को कार्य पर रखने की क्षमता, परिणामों तथा श्रम बाजार में उनकी नियोजनीयता के साथ-साथ वर्तमान परिदृश्य के संक्षिप्त विश्लेषण संबंधी आंकड़ों को दर्शाता है ।

8. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की जनगणना :

- यह देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है । यह जनगणना देश के विभिन्न भागों में स्थित रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाती है ।

9. भारत में रोजगार के अवसरों पर बुलटिन :

- यह इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि, औषधि, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा अध्यापन इत्यादि विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा, डिग्री एवं स्नात्कोत्तर अर्हताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों को दर्शाता है ।

